

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु Genral मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 31,12,10,530.00 ₹ के अनुपातिक राज्यांश की राशि 207473687.00 ₹ (बीस करोड़ चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार छह सौ सत्तासी ₹ मात्र) के विरुद्ध उपबंधित राशि ₹ 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख ₹ मात्र) का वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं०-143 दिनांक- 8/9/19 के आलोक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/22/2018-UPA-I UD (EFS- 9045675) दिनांक-22.02.2019 के द्वारा General मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹ 31,12,10,530.00 (इक्कीस करोड़ बारह लाख दस हजार पाँच सौ तीस ₹ मात्र) के अनुपातिक राज्यांश की राशि 207473687.00 ₹ (बीस करोड़ चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार छह सौ सत्तासी ₹ मात्र) के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश मद में उपबंधित राशि ₹ 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख ₹ मात्र) की आवंटन की स्वीकृति दी जाती है। अवशेष राशि ₹ 2,59,73,687.00 की निकासी बजट उपबंध प्राप्त होने पर की जायेगी।

2. स्वीकृत राशि ₹ 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख ₹ मात्र) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-7085 दिनांक-19.09.2018 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 के अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि रू0 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख रू0 मात्र) की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-48-3475001080302, PFMS कोड-2000-विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0302.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतनादि में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि रू0 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी BTC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-

ह0/
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

101- / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-8/03/19
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 प्रबंधक नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी संबंधित DAY- NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 31,12,10,530.00 रू० के अनुपातिक राज्यांश की राशि 207473687.00 रू० (बीस करोड़ चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार छह सौ सत्तासी रू० मात्र) के विरुद्ध उपबंधित राशि रू० 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख रू० मात्र) का वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/22/2018-UPA-I UD (EFS- 9045675) दिनांक-22.02.2019 के द्वारा General मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू० 31,12,10,530.00 (इक्कतीस करोड़ बारह लाख दस हजार पाँच सौ तीस रू० मात्र) के अनुपातिक राज्यांश की राशि 207473687.00 रू० (बीस करोड़ चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार छह सौ सत्तासी रू० मात्र) के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश मद में उपबंधित राशि रू० 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख रू० मात्र) की निकासी की स्वीकृति दी जाती है। अवशेष राशि रू० 2,59,73,687.00 की निकासी बजट उपबंध प्राप्त होने पर की जायेगी।

2. स्वीकृत राशि रू० 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख रू० मात्र) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-7085 दिनांक-19.09.2018 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 के अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

4

5. स्वीकृत राशि रू0 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख रू0 मात्र) की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-48-3475001080302, PFMS कोड-2000-विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0302.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतनादि में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि रू0 18,15,00,000.00 (अठारह करोड़ पंद्रह लाख रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी BTC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0- 65 /टि0 पर दिनांक- 05/03/19 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0- 64 /टि0 पर दिनांक-05/03/19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 /

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

/ न0 वि0 एवं आ0 वि0, पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 /

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 143

/ न0 वि0 एवं आ0 वि0, पटना, दिनांक:- 8/3/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।